

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नं.:—0141—2740837, फ़ैक्स 0141—2742309, ई मेल:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंक नंबर-13088\2013)/अलेसे-III/1026

दिनांक:- 06-09-2022

कार्यालय आदेश

श्रीमती गायत्री, (लिंक नंबर-13088) कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर जिनकी जन्म तिथि 25.08.1990 है, ने विवाह होने के उपरान्त अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2022 द्वारा स्वयं का नाम गायत्री से उपनाम “कुमावत” जोड़कर गायत्री कुमावत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 (ए) के निर्णय सपठित वित्त (नियम) विभाग के ममोरेण्डम दिनांक 15.02.2018 के अनुसार इनका नाम गायत्री के स्थान पर गायत्री कुमावत विभागीय रिकार्ड में दर्ज करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.(ई)निप/(लिंक नंबर-13088\2013)/अलेसे-III/1026

दिनांक:- 06-09-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर।
2. कोषाधिकारी नागौर।
3. श्रीमति गायत्री कुमावत (लिंक नंबर-13088) कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, नागौर।
- 4- उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- 5- निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- 6- वरिष्ठता सीट/पदस्थापन सीट/डीपीसी शाखा/एसीआर शाखा/जांच शाखा
- 7- निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)